आतंकी संगठन आईएसआईएस के लिए काम करता था जोधपुर का जीशान, जांच में खुलासा

पूछताछ में सामने आया कि जीशान अपने हैंडलर के इशारे पर नए लड़कों को भर्ती करने के लिए जिम्मेदारी संभालता था

जोधपुर, (कासं)। जोधपुर में आंध्रप्रदेश पुलिस की गिरफ्त में आए आतंकी जीशान (19) से पूछताछ में कई खुलाने हुए हैं। वह आतंकी संगठन आईएसआईएसआई से जुड़ा हुआ था। अब तक की पूछताछ में सामने आया कि वो अपने हैंडलर के इशारे पर नए लड़कों को में भर्ती करने के लिए जिम्मेदारी संभालता था। इसके लिए नए और कट्टरपंथी सोच रखने वाले युवाओं को आईएसआईएस भर्ती करवाने के लिए ब्रेन वॉश करता था। उन्हें बताता था कि शरिया ही सब कुछ है। पूरी दुनिया में शरिया लागू करना है। इसके लिए उन्हें उकसाने वाले वीडियो ओर कंटेंट भेजता था।

खुफिया एजेंसियों को शक है कि जीशान को इसके लिए फंडिंग भी मिलती थी, जिसके चलते वो नए लड़कों को भर्ती किया करता था। जांच में पता चला कि वह एक ग्रुप का एडमिन था, जिसमें वह कट्टरपंथी विचारधारा वाले शॉर्ट वीडियो और वॉइस नोट्स अपलोड करता था। आतंकी के मोबाइल की जांच में सामने आया कि वो नए लड़कों को आईएसआईएस की आतंकी जिहाद की विचारधारा से जोड़ना चाहता था। इसके लिए उनका ब्रेन वॉश करता। उन्हें भारत सहित पूरे विश्व में शरिया स्थापित करने के लिए दुष्प्रेरित करता था। इसके लिए वो सोशल साइट का इस्तेमाल कर रहा था। हालांकि जब बीते दिनों विजयवाड़ा में आईएसआईएस से जुड़े आतंकी को पकड़ा गया तो आरोपी ने सोशल ग्रुप को लेफ्ट कर दिया था। उसने अपने मोबाइल से डेटा भी डिलीट कर दिया था, लेकिन पुलिस की टीम ने उसे रिकवर कर लिया।

- खुफिया एजेंसियों को शक है कि जीशान को इसके लिए फंडिंग भी मिलती थी, जिसके चलते वो नए लड़कों को भर्ती किया करता था
- लड़कों को बताता था कि शरिया ही सब कुछ है, पूरी दुनिया में शरिया लागू करना है, इसके लिए उन्हें उकसाने वाले वीडियो ओर कंटेंट भेजता था
- पुलिस अब ये पता लगाने में जुटी है कि कहीं ये लोग भारत में आईएसआईएस के झंडे तले किसी बड़ी आतंकी साजिशों को अंजाम देने के लिए तो षड्यंत्र नहीं कर रहे थे

सूत्रों के मुताबिक आतंकी के संपर्क में आए लोगों को भी संदेह के आधार पर पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है। इसी को लेकर बुधवार को भी टीम ने दो संदिग्धों से पूछताछ की थी। बाद में उनके मोबाइल जब्त कर लिए गए।

गौरतलब है कि आंध्रप्रदेश के विजयवाड़ा की पुलिस ने सदर बाजार थाना पुलिस अधिकारी माणक राम विश्नोई की सहायता से आतंकी जीशान को मंगलवार रात पकड़ा था। इसके बाद उसे सोजती गेट चौकी लाकर पूछताछ शुरू की गई। आंध्रप्रदेश की विजयवाड़ा पुलिस के अधिकारी उससे रातभर पूछताछ करते रहे। आतंकी ने भारत में आईएसआईएस को मजबूत करने के लिए उसकी प्रचार-सामग्री को काम में लिया था। आईएसआईएस के शरिया लागू करने के विचारों और निर्देशों को शेयर कर रहा था।

अंदेशा है कि इसमें इस्लामिक देशों सीरिया, इराक के भी हैंडलर शामिल थे। पुलिस अब ये पता लगाने में जुटी है कि कहीं ये लोग भारत में आईएसआईएस के झंडे तले किसी बड़ी आतंकी साजिशों को अंजाम देने के लिए तो षड्यंत्र नहीं कर रहे थे। आंध्रप्रदेश की विजयवाड़ा पुलिस के अधिकारी उससे रातभर पूछताछ करते रहे। बुधवार को उसे ट्रांजिट रिमांड पर लेने के बाद आंध्र प्रदेश ले जाया गया, जहां उससे आगे की पूछताछ जाएगी। पुलिस ने आरोपी के सोशल मीडिया से जुड़े सदस्यों को रडार पर लिया है, जिसके आधार पर जोधपुर में आगे भी कई गिरफ्तारियां हो सकती हैं।

राजसमंद में अवैध अफीम की खेती पकड़ी

- गोभी और प्याज की फसल के बीच छिपाकर अफीम के पौधे लगे मिले

राजसमंद, (निसं)। केलवा पुलिस ने मादक पदार्थों के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत कार्रवाई करते हुए अवैध अफीम की खेती का भंडाफोड़ किया है। पुलिस की इस कार्रवाई से क्षेत्र में नशीले पदार्थों के कारोबार में लिप्त लोगों में हड़कंप मच गया है।

थानाधिकारी सुबोध कुमार जांगिड़ ने बताया कि पुलिस को मुखबिर के जरिए सूचना मिली थी कि खेतनामी नारजी वाला बंदा क्षेत्र में एक खेत पर अवैध रूप से अफीम की खेती की जा रही है। सूचना को गंभीरता से लेते हुए पुलिस टीम का गठन किया गया और उक्त स्थान पर दबिश दी गई। पुलिस जब मौके पर पहुंची तो खेत में पहली नजर में गोभी और प्याज की सामान्य फसल दिखाई दी, लेकिन गहन जांच करने पर इनके बीच छिपाकर अफीम के पौधे लगाए हुए पाए गए। आरोपी द्वारा पुलिस और आमजन की नजरों से बचने के लिए अफीम की खेती को अन्य सब्जियों के बीच छिपाने का प्रयास किया गया था। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने आरोपी हीरा लाल पुत्र मोडी लाल पालीवाल निवासी केलवा के खेत से करीब 48 अफीम के पौधे बरामद किए। पुलिस ने मौके पर ही पंचनामा तैयार कर अवैध अफीम की फसल को जब्त कर लिया। इसके साथ ही खेत से अन्य जरूरी साक्ष्य भी एकत्रित किए गए, जिन्हें जांच में शामिल किया जाएगा। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि आरोपी पिछले कुछ समय से इस अवैध गतिविधि में संलिप्त था और खेती के माध्यम से मादक पदार्थ तैयार करने की कोशिश कर रहा था। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और विस्तृत जांच शुरू कर दी गई है। पुलिस अब इस एंगल से भी जांच कर रही है कि क्या इस अवैध खेती में अन्य लोग भी शामिल हैं या इसके पीछे कोई संगठित गिरोह सक्रिय है। यदि जांच में अन्य आरोपियों की संलिप्तता सामने आती है तो उनके खिलाफ भी सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

सूरतगढ़ : ऑनर किलिंग के दोषी को आजीवन कारावास

युवक के सिर में हथौड़ा मारकर हत्या की थी, थाने पहुंचकर अपराध स्वीकार किया था

- मृतक रामपाल के आरोपी के छोटे भाई की पत्नी से अवैध संबंध थे घटना से कुछ दिन पहले रामपाल उसे अपने साथ भगा ले गया था

सूरतगढ़, (निसं)। ऑनर किलिंग के एक मामले में अपर न्यायालय ने एक आरोपी को दोषी ठहराते हुए गुरुवार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने आरोपी पर एक लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। इसके अतिरिक्त अदालत ने उसे भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 450 के तहत 10 वर्ष के कठोर कारावास और 10 हजार रुपए के जुर्माने से भी दंडित किया।

अपर लोक अभियोजक संजय सोढा ने बताया कि यह मामला किशनपुरा ढाणी निवासी रामपाल पुत्र कृष्णलाल जाट की हत्या से जुड़ा है। इस संबंध में 26 मई 2018 को पीड़ित सुभाष पुत्र कृष्णलाल जाट ने सूरतगढ़ शहर पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। मामले के अनुसार मृतक रामपाल के आरोपी के छोटे भाई की पत्नी से अवैध संबंध थे। घटना से कुछ दिन पहले रामपाल उसे अपने साथ भगा ले गया था। इसी रंजिश के चलते 26 मई 2018 को जब रामपाल किशनपुरा आबादी में एक मकान के चौबारे में सो रहा था, तब आरोपी ने उसके सिर पर हथौड़े से वार कर उसकी हत्या कर दी। घटना के बाद आरोपी स्वयं सूरतगढ़ शहर थाने पहुंचा और अपना अपराध स्वीकार कर लिया। पुलिस ने घटनास्थल से आरोपी के हाथों के निशान, खून से सनी मिट्टी, हत्या में प्रयुक्त हथौड़ा और खून सने कपड़े जब्त कर उनकी फॉरेंसिक जांच कराई।

जांच अधिकारी निकेत पारीक ने सभी साक्ष्यों के आधार पर अपर सत्र न्यायालय सूरतगढ़ में चालान पेश किया। मामले में अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर न्यायाधीश मोहम्मद आसिफ अंसारी ने आरोपी को आजीवन कारावास और एक लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। साथ ही, धारा 450 के तहत 10 वर्ष के कठोर कारावास और 10 हजार रुपए जुर्माने का भी दंड दिया। न्यायालय ने दंड प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के तहत मृतक रामपाल के आश्रितों को प्रतिकर दिलाने के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को निर्देश भी दिए हैं। निर्णय के बाद आरोपी को न्यायिक अभिरक्षा में लेकर सूरतगढ़ जेल भेज दिया गया।

महिला ने घर में आत्महत्या की

डूंगरपुर, (निसं)। जिले के दोवड़ा थाना क्षेत्र के पगारा गांव में एक महिला ने अपने घर में फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। हालांकि आत्महत्या के कारणों का अभी तक खुलासा नहीं हो पाया है। महिला के पीहर पक्ष ने उसकी मौत पर संदेह जताया है और हत्या का आरोप लगाया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार पगारा गांव निवासी रमेश परमार की शादी वर्ष 2007 में पाकरोन गांव निवासी निर्मला ननोमा से हुई थी। इनके 5 बच्चे हैं। निर्मला ने अपने घर में फंदा लगाकर अपनी जान दे दी। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने घटना स्थल का मुआयना किया और शव को डूंगरपुर जिला अस्पताल की मोर्चरी में पहुंचाया। मोर्चरी में सूचना मिलने पर महिला का पीहर पक्ष भी पहुंचा। पीहर पक्ष ने निर्मला की मौत पर गंभीर संदेह व्यक्त करते हुए आरोप लगाया कि उसकी हत्या कर शव को फंदे पर लटकाया गया है। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच शुरू कर दी है।

पूर्ववर्ती सरकार ने जोधपुर में काम नहीं करवाए : मुख्यमंत्री भजनलाल

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जोधपुर में संत राजाराम महाराज के 144वें जन्मोत्सव कार्यक्रम में शिरकत की

जोधपुर, (कासं)। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने जोधपुर में कोई विकास कार्य नहीं करवाए। अब जनता हमसे मांग रही है। राज्य सरकार उनकी भावनाओं का पूरा ध्यान रखेगी। यह बात मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जोधपुर प्रवास के दौरान राजाराम आंजणा आश्रम ट्रस्ट शिकारपुरा में आयोजित संत राजाराम महाराज के 144वें जन्मोत्सव कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कही। उन्होंने अपने संबोधन में पूर्ववतर्ती कांग्रेस सरकार पर निशाना साधते हुए कई कई आरोप लगाए।

- मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने एयरपोर्ट पर मीडिया से बात करते हुए प्रदेशवासियों को रामनवमी पर्व की शुभकामनाएं दी

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ आदि ने यज्ञ में आहुति दी।

उन्होंने कहा कि घोटाले करने वालों का बख्शा नहीं जाएगा, वे सभी जेल जाएंगे। उन्होंने यहां संत राजाराम महाराज की समाधि के दर्शन किए साथ ही संत दयाराम महाराज का आशीर्वाद लिया। उन्होंने मेले का अवलोकन किया तथा संत राजाराम आश्रम के ऐतिहासिक मंदिर में दर्शन कर प्रदेश की खुशहाली की कामना की। इस दौरान केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, संसदीय कार्य एवं विधि मंत्री जोगाराम पटेल, पशुपालन मंत्री जोराराम कुमावत तथा गुजरात विधानसभा के अध्यक्ष शंकर भाई चौधरी, भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष व राज्यसभा सांसद मदन राठौड़ विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। इसके अलावा कार्यक्रम में राज्यसभा सांसद मदन राठौड़, मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग, जीवजंतु कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष जसवंत सिंह विश्नोई, पाली सांसद पीपी चौधरी, जालोर सिरोही सांसद लुंबाराम चौधरी, विधायक अर्जुनलाल गर्ग, बाबू सिंह राठौड़, भैराराम सियोल, पब्बाराम विश्नोई, अरुण पटेल, छोटू सिंह, हमीर सिंह भायल, आदुराम मेघवाल व जीवाराम चौधरी भी उपस्थित रहे।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत करते हुए प्रदेशवासियों को रामनवमी के पावन पर्व की शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि रामनवमी का दिन हमारे जीवन में हर्षोल्लास, उत्साह और भाईचारे की भावना लेकर आता है। यह पर्व हमें मर्यादा, धर्म और आदर्शों के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। उन्होंने जोधपुर सहित पूरे प्रदेश के लोगों के सुख, समृद्धि और खुशहाली की कामना करते हुए कहा कि ऐसे पर्व समाज में एकता और सौहार्द को मजबूत करते हैं।

महिला ने आत्महत्या की

उदयपुर, (निसं)। गोगुन्दा थाना क्षैत्र में विवाहिता ने फांसी लगा आत्महत्या कर ली।

पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार बुधवार रात में गोगुन्दा थाना क्षैत्र दुलावतों का गुड़ा गांव निवासी पनकी (30) पत्नी किशन गमेती ने अपने मकान में फांसी लगा आत्महत्या कर ली। इसकी सूचना मिलने पर हैड कांस्टेबल जयसिंह ने पीहर भूतालाल से परिजनों को बुलाकर उनकी मौजूदगी में मृतका का पोस्टमार्टम करवा शव परिजनों को सौंप दिया। आत्महत्या करने के कारणों का पता नहीं चल पाया।

50 किलो डोडा-पोस्त बरामद, दो तस्करों को पकड़ा

भीलवाड़ा, (निसं)। जिले की रायला थाना पुलिस ने नाकाबंदी के दौरान एक स्विफ्ट कार से 50 किलो 350 ग्राम अवैध डोडा-पोस्त बरामद कर दो तस्करों को गिरफ्तार किया है। रायला पुलिस द्वारा मादक पदार्थों के खिलाफ यह लगातार चौथी बड़ी कार्रवाई है।

जानकारी के अनुसार, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शाहपुरा राजेश आर्य और वृत्ताधिकारी गुलाबपुरा जितेंद्र सिंह के सुपरविजन में थानाधिकारी मूलचंद वर्मा के नेतृत्व में टीम भीलवाड़ा-गुलाबपुरा रोड पर नाकाबंदी कर रही थी। इसी दौरान भीलवाड़ा की ओर से आ रही एक स्विफ्ट कार को संदिग्ध मानकर रोका गया। कार की तलाशी लेने पर ड्राइवर और खलासी सीट के पीछे एक सफेद बोरा और डिग्गी में एक काला कट्टा मिला, जिसमें अवैध डोडा-पोस्त भरा हुआ था। पुलिस ने आरोपी देवाराम (22) पुत्र बुद्धाराम जाट निवासी बिंचावा जिला डीडवाना-कुचामन और प्रीतमपुरी (26) पुत्र ओमपुरी गोस्वामी, निवासी भण्डारी जिला डीडवाना-कुचामन को गिरफ्तार कर मामला दर्ज जांच शुरू की है। पुलिस ने तस्करी में प्रयुक्त स्विफ्ट कार और मादक पदार्थ को जब्त कर लिया है। पुलिस अब आरोपियों से यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि वे यह खेप कहां से लाए थे और इसकी सप्लाई कहां की जानी थी।

सर्राफा व्यापारी की हत्या की निंदा

भरतपुर, (निसं)। नदबई कस्बे में सर्राफा व्यापारी की गोली मारकर हत्या और लूट की सनसनीखेज वारदात के बाद राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढ़म ने घटना की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि यह बेहद दुखद और चिंताजनक है। मंत्री बेढ़म ने बताया कि घटना की सूचना मिलते ही पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंच गए थे और उन्होंने स्वयं भी अधिकारियों से फोन पर बातचीत कर स्थिति की जानकारी ली। साथ ही स्थानीय विधायक जगत सिंह भी रात में ही मौके पर पहुंचे और पीड़ित परिवार को सांत्वना दी। उन्होंने कहा कि आरोपियों की पहचान की जा रही है और जल्द ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। मंत्री ने भरोसा दिलाया कि अपराधी कोई भी हो, कितना भी बड़ा क्यों न हो, उसे बख्शा नहीं जाएगा।

पॉक्सो एक्ट के आरोपी को अदालत ने दोष मुक्त किया

- न्यायालय ने प्रकरण की त्वरित सुनवाई कर निर्णय सुनाते हुए नाबालिग पीड़िता की उम्र को प्रमाणित नहीं माना

भीलवाड़ा, (निसं)। लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 से जुड़ी विशेष न्यायालय के न्यायाधीश बालकृष्ण मिश्र ने निर्णय सुनाते हुए पॉक्सो एक्ट के आरोपी को दोष मुक्त किया है।

न्यायिक सूत्रों के अनुसार 10 जून 2024 को एक नाबालिग पीड़िता का अपहरण कर दुष्कर्म करने का मामला जिले के एक थाने में दर्ज किया गया जिसमें जांच अधिकारी ने अनुसंधान कर 1 मार्च 2025 को आरोप पत्र दाखिल कर आरोपी घीसू लाल उर्फ बबलू (21) पुत्र बक्सू बैरवा को गिरफ्तार किया था। विशेष न्यायालय ने प्रकरण की त्वरित सुनवाई कर निर्णय सुनाते हुए नाबालिग पीड़िता की उम्र को प्रमाणित नहीं माना और प्रस्तुत दस्तावेजों एवं बयानों से पाया कि पीड़िता अभियुक्त के साथ चार-पांच महीने स्वेच्छा से साथ रही और इस बीच आपसी सहमति से शारीरिक संबंध स्थापित किये जाने से अभियुक्त को बलात्कार के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता। इस मामले में पीड़िता का नाबालिग होना अभियोजन पक्ष साक्ष्य से सिद्ध नहीं कर पाया, इसलिए अदालत ने अभियुक्त का यह कृत्य लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा 3/4 (2) व 5(एल) 6 के तहत आवेष्ठित नहीं होता है, इसलिए अदालत ने अपने निर्णय में अभियुक्त घीसू लाल को दोष मुक्त किया और पीड़िता को पुनर्वास हेतु दिलाया जाने वाले प्रतिकार की स्थिति प्रकट नहीं होने से पीड़िता के संबंध में प्रतिकार की राशि के अवधारणा की मांग को भी खारिज कर दिया है।

लैपर्ड ने दो बकरियों पर हमला किया

टोंक, (निसं)। निवाई उपखण्ड के बस्सी गांव झिलाई रोड स्थित सरकारी स्कूल के पास बीती रात्रि को एक लैपर्ड ने बाड़े में बकरियों पर हमला कर दिया, जिसमें एक बकरी की मौत हो गई, जबकि दूसरी गंभीर रूप से घायल हो गई।

पशुपालक गिर्राज हरसाणा ने बताया कि बीती रात्रि को लैपर्ड ने उनके बाड़े में बंधी बकरियों पर हमला कर दिया, जिसके बाद ग्रामीणो ने शोर मचाकर लैपर्ड को वहां से भगाया। घटना की सूचना के बाद तत्काल वन विभाग के अधिकारियों को दी गई तथा घायल बकरी का इलाज पशु डॉक्टरों द्वारा किया जा रहा है। ग्रामीणों ने बताया कि बस्सी, सिरस, मंडालिया, खिड़गी, बहड, किवाड़ा, बारेड़ा, खेड़ी मानपुर नोहटा सहित आसपास के क्षेत्रों में कई वर्षों से लैपर्ड का मूवमेंट देखा जा रहा है। इन गांवों में बघेरे ने पहले भी पशुपालकों के कई पशुओं का शिकार किया है, जिससे किसानों को भारी नुकसान हुआ है। विगत दिनों बस्सी गांव से एक बघेरे को पिंजरे में पकड़कर ले जाया गया था, लेकिन इसके बावजूद लैपर्ड का मूवमेंट जारी है।

हादसे में श्रमिक की मौत

उदयपुर, (निसं)। गोगुन्दा कस्बे में हुए सड़क हादसे में श्रमिक की मौत हो गई। पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार बुधवार सांय गोगुन्दा थाना क्षैत्र ईसवाल स्थित डीलिप बिल्डकोम कंपनी के वर्कशॉप पर हुए हादसे में इटावा यूपी निवासी आबिद पुत्र मो. आसिम की मौत हो गई। आबिद हाइवे पर काम करने वाली कंपनी में मैकेनिक था। बुधवार शाम वह कंपनी परिसर में बैठा था। इस दौरान डम्पर की टक्कर से विद्युत पोल उस पर गिर पड़ा। जिससे उसकी मौत हो गई।

नाबालिग से दुष्कर्म करने के आरोपी को 20 साल की सजा

बीकानेर, (निसं)। पॉक्सो कोर्ट की पीठासीन अधिकारी अनु अग्रवाल ने सात साल की बच्ची से दुष्कर्म करने वाले मंदिर के कथित पुजारी को 20 साल का कठोर कारावास और 3 लाख रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है।

जानकारी के अनुसार 23 नवंबर, 2022 को छत्तरगढ़ पुलिस थाने में 7 साल की बच्ची से दुष्कर्म का मामला दर्ज हुआ था। पीड़िता के परिजनों ने रिपोर्ट दी थी कि बच्ची स्कूल गई थी और शाम तक नहीं लौटी तो उसकी खोजबीन शुरू की गई। इस दौरान उसकी मां ढूंढ़ती हुई एक मंदिर के पास पहुंची तो बच्ची के चीखने की आवाज सुनाई दी। उसने खिड़की में से झांककर देखा तो मंदिर का कथित पुजारी अणुताराम उर्फ अणदाराम बच्ची के साथ दुष्कर्म कर रहा था। उसे पकड़ने की कोशिश की गई, लेकिन वह मौके से फरार हो गया। पुलिस ने इस मामले में उसे गिरफ्तार कर कोर्ट में चालान पेश कर दिया। कोर्ट ने मामले की सुनवाई के बाद आरोपी को दोषी माना और उसे 20 साल के कठोर कारावास व 3 लाख रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड की राशि जमा नहीं कराने पर 6 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। कोर्ट में अभियोजन पक्ष की ओर से 17 गवाहों के बयान हुए। राज्य की ओर से पैरवी विशिष्ट लोक अभियोजक चतुर्भुज सारस्वत ने की।

दौसा जिला चिकित्सालय में मरीज को कमरे में बंद कर चिकित्साकर्मियों ने पीटा

स्टोन के दर्द का इंजेक्शन लगवाने पहुंचा था, मारपीट में युवक घायल हो गया

- कोतवाली पुलिस के मौके पर पहुंचते ही चिकित्साकर्मियों ने खुद के कपड़े फाड़ने शुरु किये
- जोर-जोर से चिल्लाते हुये युवक नन्दलाल मीणा पर मारपीट कर आरोप लगाना शुरु कर दिया

दौसा, (निसं)। श्री रामकरण जोशी राजकीय जिला चिकित्सालय में गुरुवार को मानवता एवं चिकित्सक को भगवान का दर्जा प्राप्त होने के बावजूद शर्मसार घटना सामने आई है। स्टोन के दर्द का इंजेक्शन लगवाने पहुंचे एक युवक की चिकित्साकर्मियों ने राहत देने के बजाय कमरा बंद कर जमकर धुनाई कर दी, जिसके चलते युवक घायल हो गया। इधर मारपीट की सूचना मिलने के साथ ही पुलिस मौके पर पहुंची तथा अर्ध चेतना अवस्था में कमरे से बाहर निकाला।

जानकारी के अनुसार गुरुवार को प्रात: साढ़े आठ बजे गुढलिया निवासी नंदलाल मीणा स्टोन का दर्द होने पर श्री रामकरण जोशी राजकीय जिला चिकित्सालय के इमरजेंसी वार्ड में पहुंचा तथा वहां मौजूद एक चिकित्साकर्मी से दर्द का इंजेक्शन लगाने की गुहार लगाई। इस पर चिकित्साकर्मी आग बबूला हो गया तथा नन्दलाल मीणा के साथ मारपीट शुरु कर दी। इधर शोर-शराबा सुनकर अन्य चिकित्साकर्मी एवं गार्ड भी मौके पर पहुंच गये तथा उसे घसीटते हुये एक कमरे में ले गये तथा उसके साथ जमकर मारपीट की। वहीं दूसरी ओर नन्दलाल मीणा को राजकीय चिकित्सालय लेकर पहुंचे उसके छोटे भाई ने इसकी सूचना पुलिस को दी। कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची तथा युवक को बाहर निकाला। कोतवाली पुलिस के मौके पर पहुंचने के साथ की कार्रवाई से घबराते हुये चिकित्साकर्मियो ने खुद के कपड़े फाडड़ा शुरु कर दिये तथा जोर-जोर से चिल्लाते हुये युवक नन्दलाल मीणा पर मारपीट कर आरोप लगाना शुरु कर दिया। पुलिस ने दोनो पक्षों के बीच समझाईश कर मामले को शांत कराया तथा पीड़ित एवं मारपीट करने वालों को कोतवाली थाना लेकर चले गये। बताया जाता है कि पुलिस ने दोनो पक्षों के बीच आपसी समझाइश कर मामले को शांत तो करा दिया, लेकिन सोशल मीडिया पर जारी वीडियो ने चिकित्सालय प्रशासन पर सवालिया निशान लगा दिया।

जिला कलेक्टर देवेन्द्र कुमार ने उक्त प्रकरण की तथ्यात्मक जांच कर दोषियो के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिये है। वहीं कलैक्टर देवेन्द्र कुमार के निर्देश के बावजूद जिला चिकित्सालय के पीएमओ मौके पर नहीं पहुंचे। इधर इतनी बड़ी घटना होने के बावजूद मौके पर प्रशासनिक एवं चिकित्सा विभाग के आला अधिकारी नहीं पहुंचे। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि इस प्रकार की घटना आये दिन होती रहती है, शिकायत के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं होती है। उन्होंने बताया कि तीन दिन पूर्व भी ऐसी ही घटना हुई थी, उसे भी कमरे में ले गये तथा उसके साथ मारपीट की। चिकित्साकर्मियों द्वारा राजकार्य में बाधा का प्रकरण दर्ज कराने की धमकी दी जाती है।

अलवर जेल में आधी रात को मोबाइल और गांजा फेंका

अलवर, (निसं)। अलवर में स्थित केंद्रीय कारागृह की सुरक्षा व्यवस्था एक बार फिर गंभीर सवालों के घेरे में है। बुधवार की देर रात जेल परिसर के भीतर प्रतिबंधित सामग्री मिलने से जेल प्रशासन में हड़कंप मच गया। सुरक्षा घेरे को भेदकर अज्ञात तत्वों द्वारा जेल के वार्ड नंबर-1 में मोबाइल फोन और नशीले पदार्थ फेंकने का सनसनीखेज मामला सामने आया है।

जानकारी के अनुसार बुधवार देर रात वार्ड नंबर-1 के पास अचानक किसी वस्तु के गिरने की जोर से आवाज सुनाई दी। वहां तैनात ड्यूटी कार्मिकों ने मुस्तैदी दिखाते हुए तुरंत मामले की सूचना उच्च अधिकारियों को दी। आवाज संदिग्ध होने के कारण कारागार प्रशासन ने बिना देरी किए तत्काल सघन तलाशी अभियान शुरू किया। रात्रि गश्त अधिकारी की मौजूदगी में जब वार्ड के कोने-कोने को खंगाला गया, तो शौचालय के पास झाड़ियों में एक संदिग्ध पैकेट पड़ा मिला। जेल प्रशासन ने जब उस लावारिस पैकेट को खोलकर उसकी जांच की, तो उसके भीतर से प्रतिबंधित सामग्री बरामद हुई। पैकेट के अंदर चार कीपैड मोबाइल फोन और करीब 2 ग्राम गांजा जैसा नशीला पदार्थ मिला। बरामद किए गए चारों मोबाइल फोन बिना सिम कार्ड के थे। जेल प्रबंधन ने तुरंत पूरी बरामदगी की वीडियो रिकॉर्डिंग करवाई और सामग्री को विधिवत सील कर साक्ष्य के रूप में सुरक्षित किया।